प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

13 अगस्त, 2026

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अनुपालन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत

वर्ष 2024-25 के लिए 'राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अनुपालन' पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2026 की प्रतिवेदन संख्या 29 संसद में 12.08.2026 को प्रस्तुत की गई। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 को राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-पीढ़ीगत समानता सुनिश्चित करने तथा दीर्घकालिक वृहद आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए जुलाई 2004 में लागू किया गया था। एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के नियम 8 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा का प्रावधान है तथा वर्तमान प्रतिवेदन में वर्ष 2024-25 के निष्कर्षों पर चर्चा की गई है।

वर्तमान में लागू एफआरबीएम रूपरेखा के अनुसार, केंद्र सरकार 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन *प्रतिशत* तक सीमित रखे तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक सामान्य सरकारी ऋण को जीडीपी के 60 *प्रतिशत* और केंद्र सरकार के ऋण को जीडीपी के 40 *प्रतिशत* तक सीमित रखने का प्रयास करे। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 *प्रतिशत* से कम स्तर पर लाने के लिए राजकोषीय समेकन के व्यापक मार्ग का अनुसरण करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इस प्रतिबद्धता को वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के एमटीएफपी विवरणों में भी दोहराया गया।

(पैरा 1.1)

केंद्र सरकार का ऋण, जीडीपी के *प्रतिशत* के रूप में, यद्यपि पिछले दो वर्षों में घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक 58.46 *प्रतिशत* हो गया, तथापि 40 *प्रतिशत* का सनसेट लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। निरपेक्ष रूप में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में, केंद्र सरकार के ऋण में ₹14.24 लाख करोड़ अथवा 8.29 *प्रतिशत* की वृद्धि मुख्यतः आंतरिक ऋण में ₹12.28 लाख करोड़ की वृद्धि के साथ-साथ वर्ष 2024-25 के दौरान बाह्य ऋण के वर्तमान मूल्य में ₹0.78 लाख करोड़ की वृद्धि तथा लोक लेखा देयताओं में ₹0.24 लाख करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार के ऋण तथा सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति से यह स्पष्ट हुआ कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के बीच केंद्र सरकार के ऋण के संचय की गति जीडीपी के विस्तार की तुलना में कम रही।

(पैरा 2.1)

ऋण स्थिरता, जिसे ऋण स्थिरीकरण संकेतक द्वारा मापा जाता है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धनात्मक रही। राजस्व प्राप्ति अनुपात में ऋण पर ब्याज भुगतान सरकार की राजकोषीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह इस बात का माप है कि सरकार के राजस्व का कितना भाग उसके ऋण पर ब्याज के भुगतान में व्यय होता है। यह अनुपात वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35.35 *प्रतिशत* था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 35.72 *प्रतिशत* हो गया किंतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में घटकर 34.02 *प्रतिशत* रह गया।

(पैरा 2.2)

एफआरबीएम रूपरेखा में यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार, किसी भी वित्तीय वर्ष में भारत की संचित निधि (सीएफआई) की प्रतिभूति पर किसी भी ऋण के संबंध में, जीडीपी के आधे *प्रतिशत* से अधिक अतिरिक्त गारंटी प्रदान नहीं करेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त गारंटियाँ जीडीपी के आधे *प्रतिशत* की निर्धारित सीमा के भीतर रहीं।

(पैरा 2.3)

वर्ष 2026-27 के बजट एक नज़र (बीएजी) में दर्शाए गए राजकोषीय घाटे के आँकड़े (₹15.74 लाख करोड़), यूजीएफए 2024-25 से एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अनुसार गणना किए गए आँकड़ों (₹14.70 लाख करोड़) से भिन्न थे।

(पैरा 2.5)

प्रतिवेदन में यह भी इंगित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक ₹38.40 लाख करोड़ की कर राशि जुटाई गई थी, किन्तु उसकी वसूली शेष थी (विवरण डी1: जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व)। यह अप्राप्त राशि पिछले वर्ष की तुलना में ₹7.29 लाख करोड़ बढ़ गई, जिसमें से ₹4.80 लाख करोड़ 'अविवादित' थे। विवरण डी2 (ब्याज की बकाया राशि) में कुछ कमियाँ दृष्टिगोचर हुईं, जहाँ दर्शाये गए आँकड़े संघ सरकार के वित्त लेखों में दर्शाए गए आँकड़ों से भिन्न थे। इसके अतिरिक्त, विवरण डी4 में प्रकट की गई वित्तीय परिसंपत्तियों (विदेशी सरकारों तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण) की राशि प्राप्ति बजट में भिन्न थी। अंततः, अर्द्धवार्षिक विवरणों (एच1 एवं एच2) तथा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण में प्रयुक्त विभिन्न राजकोषीय मानकों के बजट अनुमान के आँकड़े वार्षिक वित्तीय विवरण 2024-25 में दर्शाए गए आँकड़ों से भिन्न थे।

BSC/R/TT/IK/RK/86-26